253

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रुप–3)

क्रमांकः एफ.4(4)ग्रावि / नरेगा / सा.अं. / 2009–10 / जयपुर, दिनांकः

जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा),
सिरोही।

विषयः– ग्राम पंचायत अचपुरा, पंचायत समिति पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही के लेखों एवं कार्यों के माह दिसम्बर, 2009 में किए गए विशेष जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई कराने बाबत।

महोदय,

राज्य सरकार के आदेश एफ.4(4)ग्रावि / नरेगा / सा.अ. / 2009–10 दिनांक 18.12.2009 के द्वारा ग्राम पंचायत अचपुरा, पंचायत समिति पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही द्वारा दिनांक 1.4.2008 से 30.11.2009 तक नरेगा योजना अन्तर्गत किए गए एवं करवाये जा रहे कार्यों एवं लेखों तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु विशेष जांच दल श्री देवकीनन्दन शर्मा, परियोजना अधिकारी(लेखा), जिला परिषद् करौली के नेतृत्व में गठित किया गया था। इस जांच दल ने दिनांक 23.12.2009 से 28.12.2009 तक ग्राम पंचायत के अभिलेख एवं कार्यों का भौतिक सत्यापन करके जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न की जा रही है।

उक्त जांच प्रतिवेदन में दर्शाई गई अनियमितताओं पर आपके स्तर पर निम्नानुसार कार्रवाई की जानी है:–

1. ग्राम पंचायत द्वारा तीन कार्यों(सुरक्षा दीवार निर्माण काशी विश्वनाथ मंदिर के पास गंभीर नाले पर कासिन्दा, मुख्य सड़क के नहर तक ग्रेवल सी.सी. सड़क निर्माण पंचदेवल एवं गोचर नाडी खुदाई नागपुरा) पर स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किया गया है जिसकी सक्षम संशोधित स्वीकृति जारी नहीं की गई है। अतः परीक्षण कराके वांछित कार्रवाई की जावे।
2. ग्राम पंचायत द्वारा अपंजीकृत फर्मो से राशि रूपये 73.66 लाख की सामग्री(पत्थर, बजरी, रोड़ी, आदि) का क्रय किया गया लेकिन इनके द्वारा नियमानुसार बिक्री कर की राशि जमा नहीं कराई गई है। अतः क्रय की गई निर्माण सामग्री के बिलों का विवरण वाणिज्यिक कर विभाग को भिजवाकर नियमानुसार वेट (VAT) की वसूली की कार्रवाई करवायी जावे।
3. राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 211 के अनुसार धन केवल चैकों के जरिए आहरित किया जायेगा। अन्य व्यक्तियों को रूपये 1000/– से अधिक राशि का भुगतान चैक के जरिए ही किया जायेगा, जबकि ग्राम पंचायत की रोकड़ बही की जांच के अनुसार कुछ भुगतान नकद में किये गये हैं। नियमों का उल्लंघन कर भुगतान करने के लिए सम्बन्धित कार्मिक / लोक सेवक का उत्तरदायित्व निर्धारित कराकर वांछित कार्रवाई करावें एवं यह सुनिश्चित करावें कि भविष्य में समस्त भुगतान Account Payee Cheque से किए जावें।
4. इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर (Asset cum cumulative expenditure register) का संधारण नहीं किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्देश क्रमांक एफ.4(40)आरडी / नरेगा / ट्रें / स्टेट / 09–10 दिनांक 23.10.2009 जारी किये गये हैं, इन निर्देशों के अनुसार जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में परिसम्पत्ति मय संचयी व्यय रजिस्टर (Asset

cum cumulative expenditure register) का संधारण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

5. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.4(42)/ग्रावि/नरेगा/ग्रुप-III/06-07 दिनांक 22.3.2007 के अनुसार नरेगा कार्यों का जिले के संबंधित अधिकारियों द्वारा माप दण्डों के अनुरूप गहन निरीक्षण समय-समय पर किया जाना चाहिए। सामान्यतया यह देखा गया है कि जिला एवं पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा न तो कार्यों का भौतिक सत्यापन किया जाता है और न ही रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर सहित पंचायत के किसी भी अभिलेख का निरीक्षण ही किया जाता है, जिसके कारण कार्यों के मौके एवं अभिलेख में अनियमिताएं होती हैं और नरेगा कार्यों का इच्छित पूर्ण लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता है। इन निर्देशों के अनुरूप कार्यों एवं अभिलेख का निरीक्षण किया जा रहा है अथवा नहीं? यदि नहीं तो निर्धारित मानदण्डानुसार जिले की सभी ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित कार्यों एवं अभिलेख का निरीक्षण नहीं करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर नियमानुसार कार्रवाई कराके प्रगति से अवगत करावें।

6. उक्त अनियमितताओं के मद्देनजर जिला एवं पंचायत समिति के स्तर से अधिकारियों द्वारा कार्यों एवं अभिलेख के निरीक्षण को प्रभावी बनाये जाने के संबंध में पूर्व दिशा-निर्देशों की निरन्तरता में प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा समस्त जिला कलक्टर्स को पुनः पत्रांक एफ.4 (29) आरडी/नरेगा/पार्ट-II/निरीक्षण दिनांक 29.12.2009 से आदेश जारी किये हैं, उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके लिए यह व्यवस्था की जावे कि जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक नरेगा, प्रतिमाह 10 तारीख तक पिछले माह में जिला एवं पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों के निरीक्षण अधिकारी वार विवरण प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को अ.शा. पत्र के माध्यम से प्रेषित करें। इस कार्य की सतत् मोनिटरिंग की जानी आवश्यक है।

7. उक्त बिन्दुओं के मद्देनजर योजना के क्रियान्वयन में सुधार किया जाना आवश्यक है। आपके स्तर पर यह सुनिश्चित किया जावे कि जिले की किसी भी ग्राम पंचायत में उक्त अनियमितताओं की पुनरावृत्ति नहीं हो।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्रवाई कराकर एक माह की अवधि में बिन्दुवार प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव
(ई.जी.एस.)

क्रमांकः एफ.4(4)ग्रावि/नरेगा/सा.अं./2009-19/383-86 दिनांकः 18.1.2010.

प्रतिलिपि

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा जिला परिषद, सिरोही को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. श्री मुकेश विजय, अधिशाषी अभियन्ता को विभाग की वैबसाइट पर उक्त पत्र एवं जांच प्रतिवेदन डलवाने की कार्रवाई हेतु।

निदेशक
सामाजिक अंकेक्षण

ग्राम पंचायत, अचपुरा
(पंचायत समिति, पिण्डवाड़ा)
जिला–सिरोही (राजस्थान)
में दिनांक 1.4.2008 से 30.11.2009 तक नरेगा योजनान्तर्गत किये गये/करवाये जा रहे निर्माण कार्यों एवं व्यय का जॉच प्रतिवेदन

240

जांच प्रतिवेदन

प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रप-3/नरेगा),जयपुर के आदेश कमांकःएफ4(4)ग्रा0वि0/ नरेगा/सा0अ0/ 2009-10 दिनांक 18.12.2009 के अनुसार गठित जॉच दल ने निर्देशानुसार ग्राम पंचायत अचपुरा (पं.स.पिण्डवाडा) पहुँचकर दिनांक 1.4.2008 से 30.11. 2009 तक पंचायत द्वारा नरेगा योजनान्तर्गत किये गये /करवाये जा रहे कार्यो का भौतिक सत्यापन किया एवं उपलब्ध कराये गये अभिलेखों(परिशिष्ठ 1 अनुसार)के आधार पर कार्यो पर किये गये व्यय की जॉच की गई जॉच कार्य निम्न अधिकारियों द्वारा सम्पन्न किया गयाः-

1-श्री देवकीनन्दन शर्मा, परियोजना अधिकारी(लेखा)जिला परिषद,(ग्रा.वि.प्र.)करौली-प्रभारी
2-श्री एच.सी.मीणा,सहायक लेखाधिकारी,ग्रामीण विकास विभाग, -सदस्य
3-श्री आर.के.माथुर,परियोजना अधिकारी(एस.ए.पी.)ग्रामीण विकास विभाग-सदस्य

कार्यो के भौतिक सत्यापन के समय निम्न अधिकारी/कर्मचारी मौके पर साथ रहेः-

(1)श्री प्रेमचंद तंवर,विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी,पं.स.पिण्डवाडा ।
(2)श्री चन्द्रेश अग्रवाल,सहायक अभियंता,नरेगा,पं.स.पिण्डवाडा ।
(3)श्री भूपेन्द्रसिंह राठौर,सहायक अभियंता,नरेगा,पं.स.पिण्डवाडा ।
(4)श्री लक्ष्मीचंद शर्मा, ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत अचपुरा।
(5)श्री सुरेशचन्द्र सैन, ग्रामरोजगार सहायक,ग्राम पंचायत,अचपुरा ।

मौके पर कार्यो की माप एवं मूल्यांकन का कार्य तकनीकी अधिकारियों(अभियंताओं)द्वारा किया गया,कार्यो की गुणवत्ता की जॉच प्रयोगशाला में नहीं कराई गई है और धरातल के नीचे के अधिकतर कार्यो को माप पुस्तिका के अनुसार ही माना गया है समयाभाव के कारण कुल 39 कार्यो में से 16 कार्यो का ही भौतिक सत्यापन किया जा सका जिनकी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

(1)कार्य का नाम :-<u>*गोचर भूमि किनारे ओरण भूमि पर वृक्षारोपण कार्य एवं भूमि कटाव रोकने हेतु सुरक्षा दीवार निर्माण,ग्राम कासिन्द्रा*</u>

कार्य की प्रशासनिक,वित्तीय स्वीकृति रू.7.66लाख की जारी ,तकनीकी स्वीकृति रू.7.66लाख की जारी,मौके पर कार्य का निरीक्षण करने पर कार्य की गुणवत्ता सही पायी गई,कार्य प्रगति पर है,कार्य पर कुल व्यय रू.627988/-का हुआ है तथा दिनांक 25.12.2009 को मूल्यांकन रूपये 589539/-हो पाया गया ।क्षैत्र में लगाए गए पौधों में से 98प्रतिशत पौधे मौजूद है ।

(2)कार्य का नामः- <u>*आंगनवाडी भवन से काशी विश्वनाथ होते हुए पुलिया तक दो रपट निर्माण कार्य,ग्राम कासिन्द्रा*</u>

कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रू.11.62लाख एवं तकनीकी स्वीकृति रू.11.62लाख की जारी,मौके पर कार्य सही

P.O.(A/c) Karoli   A.A.O (RD)   P.O.(SAP) R.D

पाया गया ।दोनो रपट निर्माण से कासिन्द्रा से अचपुरा मुख्य मार्ग पर आवागमन(वर्षा ऋत्रु में भी) सुलभ हुआ है,कार्य लाभप्रद है,कार्य पूर्ण,कार्य पर व्यय रू.11.65लाख, समायोजन रूपये 11.62 लाख का हो चुका है।श्री रमेशदान पुत्र लक्ष्मणदान तथा श्री गणेशदास पुत्र श्री द्वारकादास लाभार्थी के बयान संलग्न है ।

(3)कार्य का नामः- *अनु.जाति जन जाति के स्वामी का भूमि सुधार एवं सिंचाई हेतु वाटरकोर्स निर्माण (डाबरों की फली क्षेत्र) ग्राम अचपुरा*

कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 10.81लाख एवं तकनीकी स्वीकृति 10.81लाख की जारी,मौके पर कार्य की गुणवत्ता ठीक पाई गई,कार्य लाभप्रद है एवं टेल तक पानी पहुँचने से सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि हुई है । इस कार्य के लाभार्थी कृषकों की सूची संलग्नक है । इस प्रकृति के कार्य को नरेगा अन्तर्गत भारत सरकार से वर्ष 2007 में पुरस्कृत भी किया जा चुका है,कार्य पर कुल व्यय रू.1080968/-है तथा कार्य पूर्ण है ।

(4)कार्य का नामः- *धर्मा/सोमा के घर से पिपलावाला तक सीमेन्ट कंकरीट सड़क निर्माण कार्य,ग्राम पंचदेवल*

कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रू.5.60लाख एवं तकनीकी स्वीकृति रू.5.60लाख की जारी है । कार्य का मौका निरीक्षण करने पर कार्य की लम्बाई 213.5मीटर एवं औसत चौड़ाई 4.60मीटर पाई गई । कार्य माप पुस्तिका में इन्द्राज के अनुसार सही पाया गया । कार्य की गुणवत्ता सही पाई गई ।कार्य पर व्यय रू.559859/-किया गया,जिसका समायोजन किया जा चुका है । कार्य पूर्ण है ।

(5)कार्य का नामः- *मुख्य सड़क से नहर तक सीमेन्ट कंकरीट सड़क निर्माण कार्य,ग्राम पंचदेवल*

कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रू.5.62लाख एवं तकनीकी स्वीकृति रू.5.62लाख की जारी,कार्य का मौका निरीक्षण करने पर 228.10मीटर लम्बाई में कार्य होना पाया गया,सड़क की औसत चौड़ाई 4.80मीटर पाई गई,सीमेन्ट, कंकरीट कार्य, औसत 15सेन्टीमीटर मोटाई में होना पाया गया । जो की मापपुस्तिका के अनुसार है । कार्य पर कुल व्यय रूपये 6.33 लाख हुआ है । कार्य पर स्वीकृति से अधिक व्यय हुआ है। तकमीने में सी0सी0सड़क की मोटाई 10सेन्टीमीटर है,जबकि मौके पर किए गए कार्य की औसत मोटाई 12.50सेन्टीमीटर की गई है। कार्य की संशोधित स्वीकृति हेतु प्रकरण जिला परिषद स्तर पर लम्बित है । इस कार्य से 3 (ढाणी) फलीयों का आवागमन सुलभ हुआ है,कार्य उपयोगी है ।

(6)कार्य का नामः- *मुख्य नहर से अनु.जनजाति के खेत होते हुए नवा अरठ तक सारण निर्माण कार्य(वाटरकोर्स निर्माण)ग्राम कोटडा*

ग्राम कोटडा के इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति रू.17.26लाख एवं तकनीकी स्वीकृति रू.17.26लाख की जारी,कार्य का मौका निरीक्षण करने पर 1764 मीटर लम्बाई का पक्का वाटर कोर्स 0.40 ग 0.40 मीटर क्रोस सेक्शन में पाया गया ,कार्य की गुणवत्ता सही है इसके द्वारा 60कृषकों को लाभ

पहुचना बताया है तथा टेल तक सिंचाई हेतु पानी पहुचता है,जो कि इसके निर्माण से पूर्व नहीं पहुँच पाता था । इसके निर्माण से कृषक प्रसन्न है कार्य पर कुल व्यय रू.1725917/-होना पाया गया जिसका समायोजन किया जा चुका है ।

(7)कार्य का नामः- *धर्मा/सोमा के घर से सेरूआ बावसी तक ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य ग्राम पंचदेवल*

कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रू.9.30लाख तथा तकनीकी स्वीकृति 9.30लाख की जारी,मौका निरीक्षण करने पर माप पुस्तिका अनुसार ग्रेवल सड़क कार्य 1244मीटर लम्बाई में औसत चौड़ाई 6.09मीटर में ग्रेवल बिछाई जा चूकी है । शेष कार्य प्रगति पर है । ग्रेवल 0.15सेमी मोटाई में बिछाई गई है,कुटाई अब कराई जानी है । कार्य पर अब तक रू.677374/-व्यय किया गया है तथा समायोजन रू.451052/-का किया जा चुका है । अब तक किये गये कार्य की गुणवत्ता सही है ।

(8)कार्य का नामः- *सबसर्फेस बेरियर निर्माण,ग्राम पंचदेवल :-*

पंचदेवल की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रू.22.41लाख एवं तकनीकी स्वीकृति 22.41लाख की जारी,मौका निरीक्षण करने पर कार्य प्रगति पर है,परन्तु वर्तमान में बंद है,क्योकि स्थानीय मजदूरों को 100दिवस का रोजगार दिया जा चुका है । कार्य पर अब तक रू.20.13लाख का व्यय किया जा चुका है ,इसके निर्माण से अनुमानित 700' X 200'X2+3/2 मात्रा में संभावित जल संग्रहण होने के कारण कार्य का उद्धेश्य पूरा होता है तथा इसके आसपास अनुमानित 70कृषकों के ओपन वेल में पानी की आवक बढी है, जिससे अधिक क्षेत्र में कृषि होने पर कृषकों में प्रसन्नता है वर्तमान में अपस्ट्रीम साईड में बंजरी-कंकर-रोडे एकत्र होने से जल भराव क्षमता कम होने के कारण इस स्ट्रक्चर की उॅचाई बढाने पर विचार करना उचित होगा, ताकि व्यय राशि का अधिकतम उपयोग संभव हो सकें ।

कार्य की नाप करने पर हेडवाल की लम्बाई 63.75 मीटर एवं औसत चौडाई 5.46मीटर पाई गई,टो वाल की लम्बाई 63.75 मीटर,एप्रेन की चौडाई 3.35मीटर पाई गई, जिसका माप पुस्तिका से मिलान करने पर इन्द्राज सही पाया गया । कार्य की गुणवत्ता सही है ।

(9)कार्य का नामः- *मुख्य सडक से कालिया घर होते हुए सांगवाडिया नाले तक ग्रेवल सडक निर्माण,ग्राम पंचदेवल*

कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रू.9.30लाख की एवं तकनीकी स्वीकृति 9.30लाख की जारी,कार्य 1.4.2009 को प्रारंभ हुआ,अब तक मात्र 0.95141लाख का व्यय किया गया । मौके पर 253मीटर में मिट्टी का कार्य होना पाया गया,इसके पश्चात् रास्ता विवाद के कारण 1 माह से कार्य बंद है विवाद हल करने के प्रयास प्रगति पर है ऐसा बताया गया है ।

(10)कार्य का नामः- <u>घूना/पूना मीणा के खेत में कुआं खुदाई कार्य,ग्राम कासिन्द्रा</u>

कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 1.15लाख एवं तकनीकी स्वीकृति 1.15 लाख की जारी,मौका निरीक्षण करने पर कुआ का व्यास 4.7मीटर का तथा 15.48 मीटर गहराई तक खोदा जा चुका है,कार्य पर कुए पर डीजल पम्प लगाकर खेत में सिंचाई करते हुए पाया गया । कृषक पहले शहर में जाकर मजूदरी करता था ,कुआं स्वीकृत होने पर खेत में आकर बंजर पडी जमीन पर खेती करने लगा है तथा आवास बनाकर रह रहा है ।कार्य वर्ष 2006 का स्वीकृत है,दरे बढने के कारण कार्य पूर्ण नहीं पा रहा है ।गहराई नहीं होने के कारण भी कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे है ।कार्य पर कुल रू.110258/-का व्यय हो चुका है,जबकि 100फुट गहराई के तकमीने के विरुद्व मात्र 60फुट गहराई तक ही खुदाई हो पाई है,इसका कारण तकमीने स्थानीय साईट की परिस्थितियों के अनुसार नहीं तैयार किया जाता है ।

जानकारी करने पर यह बताया गया कि पिण्डवाडा पंचायत समिति व आबूरोड पं.स.में इस प्रकार के 90 कार्य प्रारंभ होकर अपूर्ण है, बंद है तथा पुनः प्रारंभ नहीं हो पा रहे है ।

इस प्रकार के कार्यो का मौके के अनुसार,किए गए कार्य की अवधि को दृष्टिगत रखते हु,कार्य/आइटम की दरों का बाजार दर पर निर्धारण करने हुए संशोधित तकमीना जिले की दर निर्धारण समिति से अनुमोदित कराते हुए कार्यो का पूर्ण कराया जाना उचित होगा ।

(11)कार्य का नामः-<u>सुरमा/मंछा के खेत पर कुआं खुदाई कार्य,ग्राम पचंदेवल</u>

इस कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रू.1.15लाख,तकनीकी स्वीकृति रू.1.15लाख की जारी । कुएॅ का व्यास 5.15 मीटर तथा गहराई 9.7मीटर तक पाई गई,कार्य प्रगति पर है । कार्य प्रांरभ 1.2.2008 को हुआ तथा कार्य पर रुपये 68172/-हुआ है कार्य का यू0सी0प्रस्तुत कर दिया है । कार्य का संशोधित तकमीना साईड के अनुरूप तैयार कर स्वीकृत कराया जावें ताकि लाभार्थी का कार्य का लाभ प्राप्त हो सकें ।

(12)कार्य का नामः-<u>अब्बास भाई के कुएॅ के उपर W.H.S.निर्माण कार्य कासिन्द्रा</u>

इस कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 18.22लाख रुपये,तकनीकी स्वीकृति 18.22लाख की जारी,मौका निरीक्षण करने पर कार्य प्रगति पर, हेडवाल लम्बाई 80मीटर,चौडाई 4.25मीटर पाई गई, उॅचाई NSC से 0.75 मीटर तक चुनाई कार्य हो चुका है । साइड वाल, एप्रन से वाल का कार्य प्रगति पर है,चुनाई सीमेन्ट मोरटर1:6 अनुपात में कराई जा रही है, तराई कार्य भी लगातार जारी है। कार्य पूर्ण होने पर अनुमानित 800X250X0.90 cft जल भराव होता है, जिससे आसपास के अनुमानित 30कृषकों के कुओं में जल स्तर उपर आने की संभावना है । कार्य पर अब 6.49लाख का व्यय हुआ है,अब तक मौके पर रू.12.00लाख से अधिक का कार्य हो चुका है । कार्य चूॅकि विशेष प्रकति का है,बीच

में रोका जाना उचित नहीं होगा अतः इस हेतु राशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी उचित होगी ।

(13)कार्य का नाम:- *अनुसूचित जाति व जनजाति व्यक्तिगत सारण निर्माण कार्य,ग्राम पंचदेवल*

कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 19.72लाख एवं तकनीकी स्वीकृति 19.72लाख की जारी, मौका निरीक्षण करने पर कार्य की लम्बाई 1524 मीटर एवं 0.45 X0.50 क्रोस सेक्शन का वाटर फोर्स निर्माण किया गया है कार्य की गुणवत्ता ठीक है तथा 49 कृषक एस0सी0/एस0टी0वर्ग के लाभान्वित हुए है सूची संलग्न है । कार्य पर रू.17.22लाख का व्यय कर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी है ।

(14)कार्य का नाम:- मुख्य सडक से वाया पावटिया फली तक ग्रेवल सडक पर सुरक्षा दीवार कार्य,ग्राम नागपुरा

कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रू.2.95लाख एवं तकनीकी स्वीकृति रू.2.95लाख की जारी, का मौका निरीक्षण करने पर 111मीटर लम्बाई तथा 1.4मीटर उँचाई की दीवार बनाई गई है,कार्य उपयोगी है,गुणवत्ता ठीक है,कार्य पर रू.294981/-का व्यय कर समायोजन किया जा चुका है ।

(15)कार्य का नाम:- *गंभीर नाले पर(जोगियों के घर के नीचे)सुरक्षा दीवार,ग्राम अचपुरा*

कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रू. 3.54लाख, तकनीकी स्वीकृति रू.3.54की जारी,मौका निरीक्षण करने पर सुरक्षा दीवार 30.30मीटर लम्बाई एवं 5.8मीटर चौडाई तथा उँचाई 1.90मीटर की बनाई गई है । माप पुस्तिका से मिलान करने पर सही पाया गया । कार्य उपयोगी है कार्य पर कुल व्यय रू.353960/-का व्यय कर समायोजन किया जा चुका है कार्य पूर्ण है ।

(16)कार्य का नाम:- *सारणी वाले महादेव से नवा अरहट तक सारण निर्माण,ग्राम नागपुरा*

कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 18.99लाख तथा तकनीकी स्वीकृति 18.99लाख की जारी,मौका निरीक्षण के अनुसार सारण 840मीटर लम्बाई में बनाया गया है,कार्य प्रगतिरत है,कार्य का सेक्सन 0-35X0.55 मौके पर है ।कार्य पर कुल व्यय 8.98लाख किया जा चुका है । गुणवत्ता सही पायी गई है ।

कार्यो के मौके (Site)की पहचान ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद के उक्त अधिकारियों के सहयोग से की गई । कार्यो की मौके पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी कराई गई तथा मौके पर उपस्थित ग्रामीणों के बयान लिये गये ।

दिनांक 1.4.2008 से 30.11.2009 तक नरेगा के संचालन हेतु कार्यरत अधिकारी/कार्मिकों का विवरण प्रपत्र-8 में दर्शाया गया है ।

ग्राम पंचायत अचपुरा द्वारा दिनांक 1.4.08से 30.11.09तक सम्पादित कराये गये/कराये जा रहे कार्यो के अभिलेखों के अवलोकन के पश्चात् निम्न स्थिति सामने आती है :-

2485

(1)ग्राम पंचायत कुल 39 कार्य करवाये गये है जिनमें से 12कार्य पूर्ण,4अपूर्ण और 23 कार्य प्रगति पर है ।इन कार्यो पर 1.4.2008 से 30.11.09तक की अवधि में श्रम मद में 102.32 लाख एवं सामग्री 120.87लाख रुपये व्यय किये गये है तथा राशि रू. 136.38 लाख का समायोजन कराया गया है एवं दि. 30.11.09 के बाद दि. 28.12.09 तक राशि रू. 47.57 लाख का भी समायोजन कराया गया है। जिनका अवलोकन परिशिष्ठ -1 एवं संलग्नक 'क' पर करें ।

(2)ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित कार्यो पर जॉच अवधि में ही स्वीकृति से बहुत अधिक खर्च कर दिया गया है जो अनियमित है अभी तक संशोधित स्वीकृतियॉ प्राप्त नहीं की गई है। अतः इन कार्यो की सक्षम संशोधित स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ग्राम पंचायत द्वारा संशोधित स्वीकृति जारी करने हेतु कार्यक्रम अधिकारी, पिण्डवाडा को पत्र क्रमांकः-227दिनांक 18.12. 2008 एवं 236 दिनांक 4.2.09 के द्वारा अनुरोध किया गया है । जिसका अवलोकन संलग्नक 'ग' (1)(2)पर करें ।

(राशि लाखों में)

क.सं	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि		व्यय राशि (1.4.08से 30.11.09तक)	
		श्रम	सामग्री	श्रम	सामग्री
1	सुरक्षा दीवार(बाड बचाव)निर्माण काशी विश्वनाथ मंदिर के पास गंभीर नाले पर,कासिन्द्रा	8.76	15.24	7.76	20.30
2	मुख्य सडक से नहर तक ग्रेवल सी.सी.सडक निर्माण,पंचदेवल	1.34	4.26	1.27	5.06
3	गोचर नाडी खुदाई नागपुरा	5.12	0.10	7.11	0.0

(3क) ग्राम पंचायत अचपुरा द्वारा दिनांक 1.4.2008 से दि. 30.11.2009 तक सामग्री खरीद के अभिलेखों की जांच में स्पष्ट हुआ है कि पंचायत द्वारा सामग्री खरीद हेतु निविदायें आमंत्रित नहीं की गयी है वरन आवश्यकतानुसार स्थानीय बाजार से ही स्थानीय दरों पर पत्थर, गिट्टी, बजरी, पानी टैंकर, ग्रेवल परिवहन, जे.सी.बी. किराया, भूमि समतलीकरण आदि पर व्यय किया गया है । सीमेंट M/S अम्बिका सीमेन्ट ऐजेन्सी [illegible] से क्रय किया गया है (प्रपत्र 2ब) जिसके पास टिन नम्बर है।

स्थानीय फर्म भूरसिंह/मानसिंह पानी की टंकी के पास अचपुरा से ग्राम पंचायत द्वारा निम्नानुसार सामग्री क्रय की गयी है एवं भूगतान किया गया है। (प्रपत्र 2ब)

क.सं.	सामग्री	राशि लाखों में
1	पत्थर	29.70
2	12-20 एमएम रोडी	4.86
3	40 एमएम रोडी	13.82
4	बजरी	6.14
5	पानी टैंकर	2.34
6	मिक्सर मशीन किराया	1.00

7	ग्रेवल परिवहन/डिब्बा डोरी	5.82
	कुल	63.68

उक्त के अलावा फर्म के सामग्री के निम्नानुसार बिलों का भुगतान बकाया है:-

क.सं.	सामग्री	रूपये लाखों
1	पत्थर	2.28
2	बजरी	0.75
3	12-20 एमएम रोडी	0.30
4	40 एमएम रोडी	1.28
5	पानी टैंकर	0.56
6	भूमि समतलीकरण	0.33
	योग	5.50

इस प्रकार उक्त फर्म से कुल 63.68+5.50=69.18 लाख रूपये की सामग्री क्रय की गयी है। फॅर्म के पास टिन नम्बर होना नहीं पाया गया। फर्म से बिक्रीकर की कटौती नहीं की गयी है। अतः फर्म से नियमानुसार बिक्रीकर कटौती किया जाना प्रस्तावित है।

(3 ख) 3 क के अलावा ग्राम पंचायत द्वारा निम्न फर्मो से भी सामग्री का क्रय कर भुगतान किया गया है। इन फर्मो के पास भी टिन नम्बर होना नहीं पाया गया। इनसे भी बिक्री कर कटौती नहीं की गयी है। जिसकी नियमानुसार कटौती किया जाना प्रस्तावित है:- (प्रपत्र 2 ब)

क.सं.	फर्म	राशि
1	श्रीमती शोभा सावंरिया, आबूरोड	2.19
2	श्री रमेश कुमार/बाबूलाल धांची, रोहिडा	0.95
3	श्री रामनारायण सावंरिया एण्ड संस, आबूरोड	0.71
4	जय अम्बे ड्रीलिंग, स्वरूपगंज	0.23
5	ताराराम/भीखाजी, पंच देवल	0.30
6	उमेश दाधीच, रिको एरिया, सिरोही रोड	0.10

(4) ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की जांच में विदित हुआ है कि पंचायत द्वारा फर्मो को कुछ नकद भुगतान भी किये गये है। जबकि पंचायतीराज अधिनियमों के अनुसार एक हजार से अधिक राशि का भुगतान चैक से किये जाने का प्रावधान है। अतः यह सुझाव है कि एक हजार से अधिक राशि का भुगतान चैक से ही किया जावे। अधिक सामग्री सप्लाई करने वाली फर्मो के पते का सत्यापन के समय पूछ-ताछ में फर्मो ने स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा हमें सभी भुगतान किये गये एवं उन्हें पूरा भुगतान प्राप्त हुआ है। (पृष्ठ 228 से 231)

उपसंहार

ग्राम पंचायत अचपुरा के अभिलेखों की जांच एवं कार्यो के भौतिक सत्यापन से यह स्पष्ट हुआ कि रिपोर्ट में दर्शायी गयी उक्त स्थिति के अलावा ग्राम पंचायत का जांच अवधि का रिकार्ड/कार्य संतोषजनक पाया गया। ग्राम पंचायत के कार्यो की भौतिक सत्यापन की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करायी गयी जिनकी फोटो (40 नग) एवं सीडी (1) अवलोकन हेतु संलग्न प्रस्तुत है।

संलग्नक (पेज 1 से 237 तक निम्नानुसार)

1. परिशिष्ट-1 (विशेष जांच हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली सूचनाओं का संकलन 2. प्रपत्र-1 दो प्रति में 3. प्रपत्र-2 अ 4. प्रपत्र -2 ब 5. प्रपत्र -2 स 6. प्रपत्र -3 7 प्रपत्र -4 8. प्रपत्र -5	9.प्रपत्र-6 (2 प्रगतिरत कार्य) 10. प्रपत्र-7 11. प्रपत्र-8 12. संलग्नक 'क' 13. संलग्नक 'ख' 14 संलग्न 'ग' 1व2 15 अम्बिका सीमेंट ऐजेन्सी का पत्र दि.26.12.09 16. बैंक स्टेटमेंट
18. फोटोज - 40 नग 19. सी.डी. — 1 नग	17. कार्यक्रम अधिकारी नरेगा, पं.सं. पिण्डवाडा द्वारा ग्रा.पं. को राशि हस्तान्तरण का विवरण

30/12/09

(देवकीनंदन शर्मा)
प्रभारी जांचदल, ग्रा.पं. अचपुरा
पंचायत समिति पिण्डवाडा,सिरोही

AAO (R.D.)

P.O. (SAP) R.D.